



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

19AA 163658



भारतीय गैर न्यायिक 10 रु
क्रमांक 85908
दिनांक 15 DEC 2024
पत्रांक

3496 (ख)

कृषि क्षेत्र	सूचना	दिनांक	कार्यवाही
--------------	-------	--------	-----------

33000/-

33000/-

बैनामा

कीमतों रु. 3,30,000/- अर्थात् तीन लाख तीन हजार रुपये भी कि-कीमत की कुल (अथवा विक्रीलाभ, क्रेता के आग्रह में अगर दो गवार्हों के समूह प्राप्त कर चुके हों) एवं अन्य क्रेता से इस लोटे के संबंध में मुझे, कुछ भी लाभ लेना नहीं है।

आप संसाधन आयोग
आवक मात्र - 3,30,000/- रुपये
स्टाम्प - 26,000/- रुपये

विक्रीलाभ :-

1. बी देवाश्रीवर्मा धर्म उम्र 48 वर्ष पिता श्री देवदास या निवासी- दीरदलाल अग्रवाल नगर नया बाराबाद मुहम्मदी मस्जिद न किताब लखनऊ उ.प.
2. एम.के. मन्मथप्रसाद उम्र 52 वर्ष पिता श्री बन्नीप्रकाश मन्मथप्रसाद निवासी- एन.आई.सी. कारिगरी अड्डार रो. सी. 12 सोसायटी मन्मथप्रकाश न किताब लखनऊ (उ.प.)

पंजाब लुधियाना नोटापब्लिशिंग कम्पनी, लुधियाना, पंजाब
 एम - सचिव श्री राजेश्वर सोहन उम्र 45 वर्ष
 पिता श्री राजेश्वर कुमार अग्रवाल
 निवासी- सेव रोड जंक्शन
 मन्मथप्रसाद न किताब लखनऊ उ.प.
 पेशा - अकाउंटेंट

21450
 33000.00
 1092.50
 177.50
 4900.00

15 DEC 2021

...3...

यह कि उपरोक्त जमीन को विक्रेता ने श्रीमती मानिक बाई देवांगन उम्र 70 वर्ष पति स्व. श्री सखाराम देवांगन निवासी - सारागांव, पोस्ट- सारागांव तह. व जिला रायपुर छ.ग. वाले से दिनांक 7 जुलाई 2009 को क्रय कर उप पंजीयक कार्यालय रायपुर में पंजीयत किया गया है, जिसका पुस्तक क्रमांक -अ-1 ग्रंथ क्रमांक- 4437 पृष्ठ क्रमांक- 55 से 66 क्रमांक- 1460 ग देकर पंजीयत किया गया है।

3x

यह कि विक्रयशुदा संपत्ति विक्रेता के भूमिस्वामी हक की सम्पत्ति है तथा अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों में वतीर स्वामी के रूप में दर्ज है भूमि विक्रेता को अपने घरेलू एवं अन्य दिगार खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता है और उपरोक्त क्रेता से उचित कीमत मिल रही है तथा विक्रेता को विक्रय/ अंतरण करने का वैध अधिकार है, इसलिये आज दिनांक को विक्रेता ने क्रेता से विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर, विक्रय कर क्रेता के पक्ष में यह विक्रय विलेख निश्चयित कर, क्रेता को पूर्ण रुपेण मालिक एवं स्वामी बना दिया है एवं दखल कच्चा भी दे दिया है।

अब क्रेता उपरोक्त विक्रयशुदा संपत्ति को विक्रेता के नाम के स्थान पर अपना नाम राजस्व अभिलेख एवं अन्य अभिलेखों में वतीर भवन स्वामी के रूप में दर्ज करावें, अपनी इच्छानुसार उपयोग, उपभोग, कर्षे वा किसी अन्य व्यक्ति वा संस्था को विक्रय, दान, रहन या अन्यथा अंतरित करें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी, और न ही भविष्य में रहेगी, यदि भविष्य में ली गयी विक्रेता या उसके वारिसाओं द्वारा की गई आपत्ति के फलस्वरूप विक्रयशुदा संपत्ति का कुल या कुछ भाग क्रेता के स्वामित्व एवं आधिपत्य से निकल जाता है तो विक्रेता एवं उसके वारिसा उन निकले हुए भाग की कुल कीमत मय नुकसानी तककी के देनदार रहेंगे।

...4



02/11/20
2/11/20

पूर्व में किलेता के द्वारा विक्रयसूदा सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को विक्रय, दान, राहत, या अन्यथा अंतरित नहीं किया गया है और न ही अंतरित करने की कोई संविदा ही की गयी है। और ना ही किसी बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय, अर्धशासकीय विभाग में बंधक आदि रखी गयी है, इस प्रकार विक्रयसूदा सम्पत्ति आज दिनांक को पूर्ण रूपेण चाक न साफ है।
















इस विक्रय विलेख के निष्पादन से किलेता भी शासकीय, अर्धशासकीय आदेशों एवं नियमों की अवहेलना नहीं होगी है और ना ही एच. ग. यू-राजस्व संहिता 1965 की धारा 165 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है और ना ही भूमि यू-दान या शासन से द्राण की गयी है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन नहीं किया गया है। किलेता के द्वारा आज दिनांक तक का अचल संपत्ति, भू, इत्यादि अदा कर दिया है आज दिनांक के पश्चात् किलेता अदा करेगा।

यह कि इस विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कटि-शॉट नहीं किया गया है तथा दस्तावेज में बर्लित लेख साफ एवं प्रयाचित है किसे किलेता एवं केल्या के द्वारा उपरोक्त काराया गया है तथा उनके द्वारा दी गयी जानकारी एवं उपरोक्त काराये गये विक्रय एवं जानकारी के आधार पर इस विक्रयपत्र (बैनाया) का प्रत्येक तैयार किया गया है अतः इस आधार पर भविष्य में इस संबंध में कोई संतोधान की आवश्यकता नहीं होगी।



कॉलेजियल अधिनियम 1908 की धारा 32 (ए) के तहत फोटो एवं अंगुष्ठ छाप

क्र.सं.	बायें हाथ का अंगुष्ठ (काली स्याही से)	पासपोर्ट साईज फोटो/आक	चिकित्सा/कावेदार का नाम एवं हस्ताक्षर
1	2		4
1		 	<u>Atkar</u>
2		 	<u>Singh</u>
3		 	<u>P.</u>
4			_____
5			_____
6			_____

नाम ग्राम सासगाव प.स.न. ८३/१० श.सि.मं. अस्सीवा परगना तहसील रामपुर जिला रायपुर (द.ग.) सन्

संवत्

कृषक का नाम, पिता का नाम और पत्नि	खेतों की विवेचना			भाग नमास्त और एका			समुह			खेतों में उत्पन्न फसलों का विवरण			विपरीतदिशा के लिए वर्ष संबंधित नए एका संख्या			विपरीतदिशा के संबंध में वर्ष की अवधि में की गई उपज		
	खेतों में वर्गीकृत खेतों का क्र. सं.	उत्पन्न करने वाले खेतों का क्र. सं.	अन्य खेतों का क्र. सं.	संख्या	एक	घण्टा	संख्या	एक	घण्टा	संख्या	एक	घण्टा	संख्या	एक	घण्टा	संख्या	एक	घण्टा
दिनासीधर पिता देवदासदास अस. के. मजूमदार पिता फलीभूषण मजूमदार एसा. रायपुर श.स. संघ	२२५ १)	०-३६५		१-३५	१.००	१.००												

28/7/09
र. एस. वैकरा
अतिरिक्त तहसीलदार
धरतीवा

सकल प्रतिनिधि
P.C.N. 8910
18-09-2009
प्रमुख लिह
फारम नं. १. ८३/१०
श.सि. मं. धरतीवा-१

Handwritten signatures and marks at the bottom of the table.

दुफ्त-लम्बाई

N
S



श्रीम. साहायान
प.स.न. - २३/१०
श्रीम. नं. - श्रीम. नं. १
नं. - रामपुर
पिन - रामपुर
(२३.१०)
स्केल १५" = १ मीटर

[Signature]
P.W. 83/10
18-09-2009
महाराष्ट्र शासन
प.स. नं. २३/१०

[Signature]

[Signature]
S. S. S. S.

महाराष्ट्र शासन
प.स. नं. २३/१०
१९.०९.२००९

P संख्या क्रमांक 1074001

प्राप्तकर्ता का नाम: देवराज शेट
प्राप्तकर्ता का पता: देवराज शेट, वीरट
प्राप्तकर्ता का पता: देवराज शेट, वीरट
प्राप्तकर्ता का पता: देवराज शेट, वीरट
प्राप्तकर्ता का पता: देवराज शेट, वीरट



प्राप्तकर्ता का पता: देवराज शेट, वीरट
प्राप्तकर्ता का पता: देवराज शेट, वीरट
प्राप्तकर्ता का पता: देवराज शेट, वीरट
प्राप्तकर्ता का पता: देवराज शेट, वीरट

Handwritten signature or mark.

A. Bhan

Handwritten signature.

1- विभाग
 देव प्री प्रसाद - देव प्रसाद
 अखिल भारतीय किसान सभ

क्र.सं.	नाम	दिनांक					विवरण	विवरण का प्रकार	विवरण का स्थान	विवरण का मालिक
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	देव प्री प्रसाद	0-30-20	0-30-20	0-30-20	0-30-20	0-30-20	कृषि	देव प्री प्रसाद	देव प्री प्रसाद	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

10/09/09
 देव प्री प्रसाद
 अखिल भारतीय किसान सभ
 देव प्री प्रसाद

(Handwritten mark)

*Other
 Sun 3/2*

अखिल भारतीय किसान सभ
 देव प्री प्रसाद
 6 OCT 2009

15 DEC 2021
15 DEC 2021
15 DEC 2021
15 DEC 2021
15 DEC 2021
15 DEC 2021

15 DEC 2021



फॉर्म बी-1 कृषतंबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2019-2020

शुक्ति का ब्योरा इंस्ट्रुमट में एवं कदी का ब्योरा रूपदे पीसो में

20200720440700623

काम : आसामीवार

इन्का : 00010

रा नि : धरसीवा - राक

तहसील : रावपुर

जिला : रावपुर

खारा कं ब्योरी	पातु और बकाया ग्रॉस			बहुनिर्घ			खजाने में जमा करने के ब्योरी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वस्तुनिर्घ									
	शु-नवाही या आसामीय पर्टेदार का नाम	खारी में शामिल प्रत्येक शु-मायन का. का शु-मायन	प्रत्येक शु-मायन का. का शु-मायन और खारी पर शुन शीयकन	शु-राजस्व	उपकर	शेरा	शुनता न करने वाले व्यक्ति का नाम	शुनता न करीक	शु-राजस्व	उपकर	शेरा	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	पामाज क्रमांक	शु-राजस्व	उपकर	शेरा	शु-राजस्व	उपकर	शेरा	जाती की गई बकाया अडिफिका कं ब्योरी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
कुल		1	0.3650		0.5800	1.00	1.5800															

Signature Not Verified

Digitally signed by BHAVESH KUMAR VERMA

Date: 2020.07.20 21:39:38:157

Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published RDR



टिप:- बैंक से लिपे गये एने शुन का बियरान फॉर्म बी-1। बसरा खण्ड-1 में

पृष्ठ क्रमांक 2 / 2



फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

वृत्त वर्ष: 2020-21

ग्राम : काठगाँव

इका : 00010

रा जि : परदाँया - एक

तहसील : रावपुर

जिला : रायपुर

20200720440700624

भूमि वर स्वतंत्र हेक्टरेज में एत कतो का स्वीय प्रथमे पैले में है ।

क्रमांक	शेखरज (और यदि भूमि जगती में संविनमित न ही तो उसका बर्णन)	कम्प्लेटर का विवरण				उपरोक्त जिले, जिसे भू-राजस्व निर्धारण किता बधा है तथा प्रिपत भूराजस्व	जयिकर जिलेके अंतर्गत भूमि धारण की गई है।	किसी भूमि स्वामी का पट्टेदार का किसी सौबरी कवरकर के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान वा पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का शेखरज	कीमत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
595/3	0.3650	शंभुलाल पट्टेकरनाथ सोसायटी श्रीराम कान्तेज द्वारा-अधिस	श्री राजनीरथ गोचर पिता श्री राजेन्द्रकुमार	General	सा मनसैड,मानगीर	रुपि ₹ 0.68	जिती भूमिस्वामी		37.वि.अ.के.रा.मा.क्र.1517/अ-2/2009-10,अ.वि.05-05-2010 के अनुसार दैनाधिक प्रयोजन हेतु खसरा नं:595/3 का भाग रकम 0.194 है,वे परिवर्तित करने से परिवर्तित भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by BHAVESH KUMAR VERMA

Date: 2020.07.20 21:40:54 IST

Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR



पृष्ठ क्रमांक: 1 / 2

टीप - एकाज विवरण तथा कसल भूमि की जानकारी 'फॉर्म पी-11 खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।



फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

सूचि वर्ष: 2020-21

खान : सारागांव

इसका : 00010

रा नि : धरतीया - एक

तहसील : रामपुर

जिला : रामपुर

20200720440700624

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एवं करो मर ब्योरा रुपये पीसों में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में शामिल/निल में ही तो उसका वर्णन)	सबसेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा विधायक भू-राजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई है	किसी भूमि स्वामी या परदेदार या किसी औरकी कारतकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,समान हा पट्टे की एकम और उप-पट्टे पर दिया गया आग का क्षेत्रफल	बंकिमत
		नाम	पिता का पति का नाम	जाति	निवाह स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Signature Not Verified

Digitally signed by BHAVESH KUMAR VERMA

Date: 2020.07.20 21:40:54 IST

Reason: Confirmed to be TRUE COPY of the digitally published RCH



पृष्ठ क्रमांक: 2 / 2

टीप - फलम विवरण तथा चराम रूप की जानकारी 'फॉर्म पी-11 खसरा खण्ड-2' में प्राप्त होगा।